

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2213/2016/उदयपुर

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग,
वृत्त-‘ब’, उदयपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स राजेश सेल्स कम्पनी,
वलीचा, उदयपुर।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

अनुपस्थित

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 12.12.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 43/वेट/15-16/उदयपुर में पारित आदेश दिनांक 13.05.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-डी, उदयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25 व 61 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 06.04.2015 के जरिये सृजित कर राशि रूपये 3,26,488/-, ब्याज रूपये 91,416/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवसायी द्वारा बेकार रददी, कटे-फटे उपयोग में न लिये जा सकने वाली वस्तुयें, पेपर, प्लास्टिक वस्तुएं एवं पेपर से जुड़े सामान इत्यादि का क्रय-विक्रय किया जा सकता है। प्रत्यर्थी व्यवहारी ने आलोच्य वर्ष का त्रैमासिक रिटर्न वैट-10 एवं वार्षिक रिटर्न वैट 10 ए करमुक्त विक्रय के प्रस्तुत कर कुल रूपये 9035954/- विक्रय करमुक्त घोषित किया गया जबकि राजविष्टा पर ऑनलाइन सत्यापन पर उक्त विक्रय कर योग्य क्रय करना पाया गया। उक्त क्रम में व्यवसायी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में व्यवसायी ने दिनांक 09.02.2015 को लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया कि उनके द्वारा वेस्ट पेपर रददी का विक्रय किया गया। यह यूनाइटेड स्प्रीट लिमिटेड से क्रय की गई। व्यवसायी का यह कथन उचित नहीं है कि क्योंकि वेस्ट पेपर रददी करमुक्त है न कि कोरोगेटड बॉक्स अतः स्पष्ट है कि व्यवसायी को इस माल पर कर दर 5 प्रतिशत होने के बाद भी

लगातार.....2

करमुक्त विक्रय जानबूझकर करापवंचन के उददेश्य से किया गया। इससे करापवंचन की मंशा प्रतीत होती है। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया गया। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार करते हुये कर व ब्याज को यथावत रखा एवं शास्ति को अपास्त किया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा कर व ब्याज के बिन्दु पर अपील राजस्थान कर बोर्ड में प्रस्तुत की गयी है।

3. एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि वेस्ट पेपर रददी करमुक्त है न कि कोरोगेटड बॉक्स अतः स्पष्ट है कि व्यवसायी को इस माल पर कर दर 5 प्रतिशत होने के बाद भी करमुक्त विक्रय जानबूझकर करापवंचन के उददेश्य से किया गया। इससे करापवंचन की मंशा प्रतीत होती है। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने करापवंचन की मंशा प्रतीत होने से उचित रूप से शास्ति का आरोपण किया गया था, जिसे अपीलीय अधिकारी ने अपास्त कर विधिक त्रुटि कारित की है। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों का समुचित अवलोकन न करते हुए शास्ति को अपास्त किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुये अपास्त की गई शास्ति को पुनः बहाल किये जाने हेतु बल दिया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

6. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया, प्रस्तुत रिकार्ड का ससम्मान अध्ययन किया गया। अपीलीय अधिकारी ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम तामिलनाडू राज्य निर्णय दिनांक 21.04.2009 (2010) 26 टैक्स अपडेट 01 के प्रकाश में शास्ति अपास्त की है। निर्णय का सम्बन्धित अंश निम्न प्रकार है -

"So far as the question of penalty is concerned the items which were not included in the turnover were found incorporated in the appellant's account books where certain items which are not included in the turnover are disclosed in the dealer's own account books and the assessing authorities includes these items in the dealers turnover disallowing the exemption penalty cannot be imposed. The penalty levied stands set aside."

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत वा.क.अ., ए.ई., श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लि. श्रीगंगानगर (2012) 32 टीयूडी 3 का सम्मान अध्ययन किया


गया। इस निर्णय का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :-

"However, as far as question of penalty u/s 61 of the Act is concerned, the imposition of the same by the Assessing Authority under Section 61 of the Act of 2003 to the extent of double the amount of tax is concerned, the same cannot be sustained and deletion of penalty in these circumstances, where a debatable question was agitated by the respondent-assessee before the appellate forums created under the Act, it cannot be said the assessee deliberately filed wrong returns or particulars of taxable turnover or malafide claimed 100% input tax credit. A benefit or doubt in this regard certainly goes in favour of respondent-assessee."

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के अध्ययन करने के पश्चात स्पष्ट है कि व्यवहारी के प्रकरण में बिक्री के समस्त संब्यवहार लेखा पुस्तकों में दर्ज है। व्यवसायी द्वारा प्रविष्टियों को छिपाया नहीं गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भी समस्त आंकड़ों को व्यवसायी के लेखों से प्राप्त किया गया है। बिक्री के समस्त संब्यवहार बहियात में दर्ज होने के कारण धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति न्यायिक दृष्टांत के आलोक में विधिक नहीं है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है फलतः अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण अपील अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।


(मदन लाल मालवीय)
सदस्य